राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1868/2023

सरोज कुमारी मीणा (कर्मचारी आई.डी.–आरजेएसके201633002663)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य।

– प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.07.2023
आदेश की दिनांक : 25.07.2023

उपस्थित :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री मेघना कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी का कथन है कि खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेतड़ी, झुंझुनू द्वारा आदेश दिनांक 13.07.2023 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया है, जिसमें सभी कार्मिक जिनका वेतन मूल पदस्थापन संस्थान से आहरित नहीं हो रहा है उन सभी कर्मचारियों को अधिशेष मानते हुए तत्काल आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गए हैं। उक्त आदेश दिनांक 13.07.2023 की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 14.07.2023 को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 13.07.2023 व कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 14.07.2023 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अधिशेष मानते हुए कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पारित किये गए है, जबकि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग ने आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अत्यावश्यक प्रकृति के स्थानांतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति के पश्चात ही किये जा सकेगें। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को एपीओ किया जाना अपीलार्थी के स्थानांतरण की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी का स्थानांतरण एपीओ के माध्यम से किया जा रहा है, जो प्रतिबंधित है। इस प्रकार अपीलार्थी को एपीओ किया जाना नियम विरूद्ध है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से मौखिक रूप से कथन किया गया है कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है न कि अधिशेष कार्मिक को अन्य रिक्त पदस्थापन स्थान देने पर रोक लगाई है। अति. मुख्य सचिव के आदेशों की पालना में चिकित्सा संस्थान में कोई अधिशेष कार्मिक नही रहे एवं आई.एफ.एम.एस. में पदो की मेपिंग हो सके इस हेतु अधिशेष कार्मिकों को अन्य रिक्त पद पर लगाये जाने हेतु आदेशों कि प्रतीक्षा में निदेशालय हेतु लगाने के निर्देश दिये जिसकी पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया।
4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया।
5. वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण अन्य स्थान पर करने की दृष्टि से अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जा रहा है, इसी दृष्टि से अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा स्थानांतरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबंध वर्तमान में लागू है। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रतिबंध लागू होने के बाद भी किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति प्राप्त की गई हो। ऐसे में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरूद्ध है।
6. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थी के संबंध में जारी कार्यमुक्ति आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार एवं राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश/परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से अपीलार्थीगण का स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
7. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)